जवाब दो सरकार

बनाम

राजस्थान सरकार

सिविल रिट पिटीशन 14228/2019

राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों में पढने वाले छात्रों की सुरक्षा के क्या कदम उठाये??

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों की सख्ती से पालना के लिए राज्य सरकार को दो हफ़्तों में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए|

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 16 नवम्बर 2019

अंक –2019/JHY/05

हाईकोर्ट ने कहा लाखों बच्चों से जुड़ा मामला पूरे शहर में करें सर्वे

जेडीए ने माना 90 कोचिंग में नहीं हैं अग्निशमन के उपकरण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर जेडीए के एक जोन में ही नब्बे से ज्यादा कोचिंग ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नही है और अग्निशमन के उपकरण उपलब्ध नही है। ऐसे में पूरे शहर के कोचिंग संस्थानों का अनुमान लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जेडीए,जेएमसी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से सभी जोन में सर्वे करने को कहा। जिसमें कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और कोर्ट में पेश रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई हुई यह भी पूछा है।

राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की बेंच में जवाब दो सरकार एनजीओ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जेडीए के जोन पांच में चलने वाले कोचिंग संस्थानों की एक सूची पेश की गई। जिसमें सरकार ने माना कि 90 से अधिक कोचिंग संस्थानों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं हैं, इनके पास निर्माण की अनुमति भी नही है। अग्निशमन के पर्याप्त उपकरण तक उपलब्ध नहीं है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि अब तक ऐसे कोचिंग संस्थानों को सीज क्यों नहीं किया गया है। ये मामला हजारों बच्चों से सीधा जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से एडवोकेट आदित्य जैन ने कहा यह रिपोर्ट केवल एक जोन की है पूरे कोचिंग संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नही है और अब तक सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई है।

पत्रिका Thu, 14 November 2019
epaper.patrika.com/c/45723049

राजस्थान पत्रिका

कोचिंग में फायर सेफ्टी पर जेडीए और निगम जवाब दें

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर की सभी जोन में फायर सुरक्षा संसाधनों के बिना और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग संस्थानों के मामले में जेडीए, नगर निगम व चीफ फायर ऑफिसर को कहा है कि वे शपथ पत्र सहित बताएं कि इनमें फायर सेफ्टी नियमों की पालना हो रही है। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश बुधवार को जवाब दो सरकार संस्थान की पीआईएल पर दिया। पीआईएल में कहा था कि जयपुर के अधिकतर कोचिंग संस्थान बिल्डिंग बॉयलॉज के विपरीत चल रहे हैं। इनमें फायर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। नियमानुसार 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में फायर सेफ्टी एनओसी लेना जरूरी है। ऐसे में कोंचिंग में फायर सुरक्षा उपकरण नहीं होने के कारण इनमें पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट की जान को भी खतरा है। इनमें आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं हैं।

दैनिक भास्कर 14/11/2019

टाइम्स ऑफ़ इंडिया 14/11/2019

HC seeks affidavit on fire safety steps at coaching institutes

Jaipur: Rajasthan High Court has asked the JDA and the JMC to file affidavits on fire safety measures at coaching centres in the state capital. The division bench of Chief Justice Indrajit Mohanty and Justice Mahendra Goyal on Wednesday issued a direction on PIL by Jawab Do Sarkar. The court directed the state government, JDA, JMC and chief fire officer, Jaipur, to submit affidavits of all zones and report of all coaching centres operating in the city without requisite fire safety equipment, fire safety norms, violations of building bylaws, etc. Court relied on a check list submitted by more than 90 coaching institutes wherein they themselves admitted that they do not possess fire safety equipment, building permissions. The court further came down heavily on state authorities as to why they were not sealing such coaching institutes which are operating without required permission as it was a matter of safety of lakhs of students. Two weeks' time has been granted to authorities to submit the compliance report and affidavits.

Scanned with CamScanner

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 14228/2019

Jawab Do Sarkar

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Aditya Jain, Ms. Neha Gyamlani
For Respondent(s) : Mr. S.K. Saini for Mr. R.P. Singh, AAG
Ms. Sonali Khatri for Mr. Amit Kuri for JDA

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL

Order

13/11/2019

It appears from the additional affidavit filed by the petitioner that though most/all of the coaching institutes do not have necessary fire clearance and fire safety equipments as is required which is evident from the various inspection reports. Additional documents to the additional affidavit have been filed by counsel for the respondents.

Learned counsel for the respondent-State is directed to file an affidavit indicating that what steps they have taken to ensure compliance of fire safety regulation. Accordingly, State in particular- the UDH Department, JDA as well as Chief Fire Officer of the Nagar Nigam are directed to file affidavit indicating that all the compliances have been made pursuant to the inspection carried out in particular at Zone No.5, Jaipur.

We further direct the JDA to carry out similar inspection in all other zones indicating what effective steps have been taken to

Scanned with CamScanner

(5)

ensure that safety requirement of coaching institute is fulfilled in the interest of the students.

The affidavit be filed within two weeks.

List the matter after three weeks.

Sd

(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J

Sd

(INDRAJIT MAHANTY),CJ

Pcg-madan/24

(5)

RAJASTHAN HIGH COURT

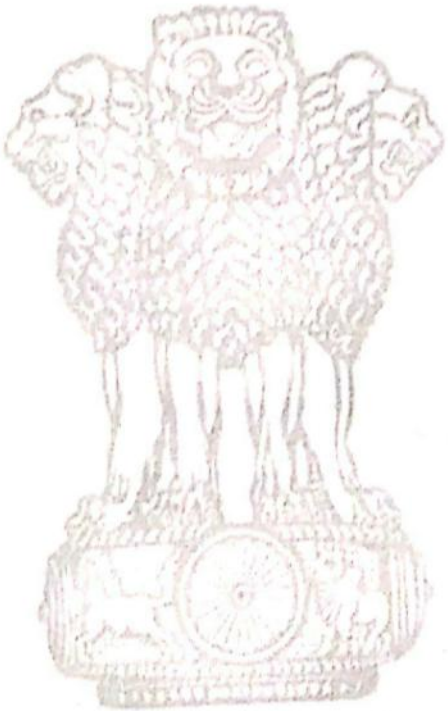

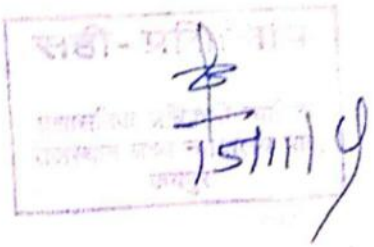

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner